



**प्रेस नोट      पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद      दिनांक 18.10.2026**

**थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा अवैध आतिशबाजी पटाखों की बिक्री करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध आतिशबाजी पटाखों से भरे प्लास्टिक के 04 कट्टे बरामद ।**

**कार्यवाही का विवरण:-** दिनांक 17.10.2026 को थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर के जरिये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति बाडा मोहल्ले में अपने घर में अवैध रूप से आतिशबाजी पटाखे रखकर बिक्री कर रहा है। तत्काल थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से आतिशबाजी पटाखों की बिक्री करने वाला अभियुक्त महमूद पुत्र श्री अजमुद्दीन निवासी असालतपुर थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 52 वर्ष को अवैध आतिशबाजी पटाखों से भरे प्लास्टिक के 04 कट्टे सहित बाडा मोहल्ले में उसी के मकान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त महमूद उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीला मोड़ पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9(बी)1(बी) में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण:-** गिरफ्तार अभियुक्त महमूद से पूछताछ करने पर बताया कि अधिक मुनाफा कमाने के लिये हापुड़ से सस्ते दामों में आतिशबाजी पटाखे खरीदकर लाता हूँ, जिन्हे अधिक मूल्य में बेचकर अपने शौक पूरे करता हूँ। मुझसे बरामद उक्त आतिशबाजी पटाखें मेरे ही हैं, जिन्हे बेचने की फिराक में लोगों का इन्तजार कर रहा था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

महमूद पुत्र श्री अजमुद्दीन निवासी असालतपुर थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 52 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण:-**

अवैध आतिशबाजी पटाखों से भरे प्लास्टिक के 04 कट्टे बरामद।

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

गिरफ्तार अभियुक्त महमूद के विरुद्ध थाना टीला मोड़ पर उक्त 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

## थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा रंगदारी के अभियोग में प्रकाश में आये 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन बरामद ।

दिनांक 09.10.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के मोबाइल फोन पर कॉल कर रंगदारी मांगना व धमकी देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा- 351(3)/308(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात दिनांक 17.10.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त 1. नबाबूद्दीन पुत्र जमशेद निवासी शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद 2. जावेद पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी कान्तीनगर थाना कृष्णानगर पूर्वी दिल्ली को मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन बरामद हुए । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों ने कुछ दिन पहले अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाकर मथुरापुर निर्माणाधीन फैक्ट्री के मालिक से यहाँ फैक्ट्री बनाने के एवज में पैसे की माँग की थी।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. नबाबूद्दीन पुत्र जमशेद निवासी शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद, उम्र करीब 60 वर्ष
2. जावेद पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी कान्तीनगर थाना कृष्णानगर पूर्वी दिल्ली, उम्र करीब 29 वर्ष

### बरामदगी का विवरण-

कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन बरामद ।

### आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत हैं । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

## श्री ऋजुल पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन जोन द्वारा देर रात्रि बार एवं क्लबों में औचक चेकिंग, दो स्थानों पर हुक्का संचालित पाया गया ।

पुलिस कमिश्नरट गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से दिनांक 17/18.10.2026 की देर रात्रि पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम व अन्य पुलिस बल के साथ विभिन्न क्लबों एवं बारों में औचक चेकिंग की गई । चेकिंग के दौरान लगभग 8 से 10 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया,

जिनमें से दो स्थानों पर हुक्का संचालित पाया गया। उक्त प्रकरणों में संबंधित व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा दिनांक 29.09.2026 को उत्तर प्रदेश में होटल, रेस्टोरेंट, कैफे एवं सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का परोसे जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए जाने के दृष्टिगत पुलिस द्वारा उक्त गतिविधियों की रोकथाम हेतु चेकिंग की जा रही है।

प्रकरण में पुलिसकर्मियों की लापरवाही अथवा संलिप्तता पाए जाने के संबंध में संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध उचित विभागीय कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, इस गतिविधि में संलिप्त अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भी नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गाजियाबाद पुलिस द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि कानून एवं न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी तथा ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चेकिंग अभियान निरंतर जारी है।

**स्वाट टीम नगर जोन एवं थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा 'ऑपरेशन प्रहार' के अंतर्गत मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद।**

**घटना का विवरण:** दिनांक 18.10.2026 को डीसीपी नगर स्वाट टीम एवं थाना विजयनगर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना व लोकल इनपुट के आधार पर अवैध गांजे की तस्करी करने वाले 03 अभियुक्त 1. बबलू पुत्र रामेन्द्र त्रिपाठी निवासी फ्लैट नं0 सी रायल टावर ब्लॉक डी सिद्धार्थविहार थाना विजयनगर गाजियाबाद मूल पता गांव महेबा बडड़ी निवाड़ी थाना औरैया जिला इटावा 2. निखिल पुत्र राजेन्द्र सागर निवासी म0नं0 32 मौहल्ला रघुनाथपुर ताजहाईवे थाना क्रासिंगरिपब्लिक गाजियाबाद 3. सत्यम पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी बागू विजयनगर मेंराकेश मोची केमकान में किराये का मकान थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल गांव पोन्ड्री, मण्डी चौकी कोतवाली बुलन्दशहर को अम्बेडकर पार्क के पास फैक्ट्री एरिया चौकी क्षेत्र सैक्टर -9 से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 20 किलो 700 ग्राम अवैध (नाजायज) गांजा बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**अभियुक्तों के नाम व पते:**

1. बबलू पुत्र रामेन्द्र त्रिपाठी निवासी फ्लैट नं0 सी रायल टावर ब्लॉक डी सिद्धार्थविहार थाना विजयनगर गाजियाबाद मूल पता गांव महेबा बडड़ी निवाड़ी थाना औरैया जिला इटावा उम्र 32 वर्ष।
2. निखिल पुत्र राजेन्द्र सागर निवासी म0नं0 32 मौहल्ला रघुनाथपुर ताजहाईवे थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष।
3. सत्यम पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी बागू विजयनगर मेंराकेश मोची के मकान में किराये का मकान थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल गांव पोन्ड्री, मण्डी चौकी कोतवाली बुलन्दशहर उम्र 23 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण:**

1. 20 किलो 700 ग्राम अवैध (नाजायज) गांजा।
2. एक गाड़ी सीज रजिस्ट्रेशन नम्बर UP14GR8499

**पूछताछ का विवरण:** पूछताछ पर अभियुक्तों ने बताया, "साहब, हम गांजा खरीदकर उसे छोटी-छोटी पुड़ियों में पैक करके एनसीआर क्षेत्र में चलते फिरते लोगों को बेचते हैं। आज भी हम अपना माल बेचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस द्वारा हमें पकड़ लिया गया। अभियुक्तों से माल कहां से लाते हो पूछा गया तो बताया कि हमें माल हर बार कोई नया व्यक्ति देता है। जिसे हम नहीं जानते हैं।

#### **अपराधिक इतिहास:**

**अभियुक्त बबलू पुत्र रामेन्द्र त्रिपाठी उपरोक्त पर** – 03 अभियोग एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित, 01 अभियोग आर्मस एक्ट से सम्बन्धित कुल 04 अभियोग कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत है।

**अभियुक्त निखिल पुत्र राजेन्द्र सागर उपरोक्त पर** – 02 अभियोग एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत है।

**अभियुक्त सत्यम पुत्र राजेन्द्र कुमार उपरोक्त पर** – 01 अभियोग एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित, 01 अभियोग आर्मस एक्ट से सम्बन्धित कुल 02 अभियोग कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत है।

#### **गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:**

- नगर स्वाट टीम एवं थाना विजयनगर पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा एन्जल मॉल कौशाम्बी स्थित द पब्लिक हाउस में व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा साहिबाबाद स्थित याराना बार एण्ड रेस्टोरेंट में अवैध रूप से चल रहा हुक्का बार से कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से द पब्लिक हाउस से 05 हुक्का मय चिलम, 05 हुक्का की पाईपे, 02 फ्लैवर्ड तम्बाकू पाउच व अन्य सामग्री एवं साहिबाबाद स्थित याराना बार एण्ड रेस्टोरेंट से 12 हुक्का मय चिलम व अन्य सामग्री बरामद।

**कार्यवाही का विवरण:-** आज दिनांक 18.10.2026 को थाना कौशाम्बी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एन्जल मॉल कौशाम्बी स्थित द पब्लिक हाउस के अन्दर हुक्का बार चल रहा है काफी संख्या में लोगों द्वारा बार में हुक्का और फ्लैवर्ड तम्बाकू उत्पादों का सेवन किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा तत्काल एन्जल मॉल कौशाम्बी पहुँचकर द पब्लिक हाउस क्लब के अन्दर से 03 अभियुक्त 1. तन्मय पुत्र श्री प्रदीप गौतम निवासी लोक नायक स्वीट वाली गली चोपला मन्दिर के पास थाना कोतवाली जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष, 2. करन पुत्र श्री पारस निवासी ग्राम पलिया पट्टी थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर हाल निवासी कोठी कॉलोनी छोटा कस्तूरवा थाना नन्दनगरी दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष, 3. भरत सिंह पुत्र श्री चतुर सिंह निवासी ग्राम गुनैरो थाना मुक्तेश्वर जनपद नैनीताल उत्तराखण्ड उम्र करीब 36 वर्ष को 05 हुक्का मय चिलम, 05 हुक्का की पाईपे, 02 फ्लैवर्ड तम्बाकू पाउच सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। रिहान आलम द पब्लिक हाउस क्लब संचालक की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित हैं।

इसी क्रम में प्राप्त इनपुट के आधार पर थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा तत्काल याराना बार एण्ड रेस्टोरेंट पहुँचकर याराना बार एण्ड रेस्टोरेंट के मैनेजर अभियुक्त हर्ष चौधरी पुत्र श्री सतवीर सिंह हाल नि0 62 ए, वन्दना एन्क्लेव खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद मूल निवासी जोगीपुरा, थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद को 12 हुक्का मय चिलम व अन्य सामग्री सहित गिरफ्तार किया गया

। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर सुसंगत धारओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त संदीप चौधरी व योगी बार संचालक की गिरफ्तारी हेतु टीमों गठित हैं।

### पूछताछ का विवरण:-

एन्जल मॉल कौशाम्बी स्थित द पब्लिक हाउस क्लब व साहिबाबाद स्थित याराना बार एण्ड रेस्टोरेंट से गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग अपने क्लब संचालक/मालिक के कहने पर ग्राहकों की मांग पर फ्लेवर्ड हुक्का मय चिलम तम्बाकू के उपलब्ध कराते हैं। हमारे पास इसका कोई लाइसेंस नहीं है।

### थाना कौशाम्बी से गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. तन्मय पुत्र श्री प्रदीप गौतम निवासी लोक नायक स्वीट वाली गली चोपला मन्दिर के पास थाना कोतवाली जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
2. करन पुत्र श्री पारस निवासी ग्राम पलिया पट्टी थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर हाल निवासी कोठी कॉलोनी छोटा कस्तूरवा थाना नन्दनगरी दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष।
3. भरत सिंह पुत्र श्री चतुर सिंह निवासी ग्राम गुनैरो थाना मुक्तेश्वर जनपद नैनीताल उत्तराखण्ड उम्र करीब 36 वर्ष।

### वांछित अभियुक्त का नाम व पता:-

- रिहान आलम पुत्र सैयद इरसाद हुसैन (द पब्लिक हाउस क्लब संचालक)- निवासी ग्राम सराय कुतुबुद्दीन उर्फ जोगिया शेखपुर थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज, हाल निवासी म0नं0 सी-36, रोड नं0 6 गाजीपुर थाना गाजीपुर दिल्ली

### थाना साहिबाबाद से गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

हर्ष चौधरी पुत्र श्री सतवीर सिंह हाल नि0 62 ए, वन्दना एन्क्लेव खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद मूल निवासी जोगीपुरा, थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 26।

### वांछित अभियुक्त का नाम व पता:-

- अभियुक्त संदीप चौधरी व योगी बार संचालक की गिरफ्तारी हेतु टीमों गठित हैं।

### बरामदगी का विवरण:-

कौशाम्बी स्थित द पब्लिक हाउस से 05 हुक्का मय चिलम, 05 हुक्का की पाईपे, 02 फ्लैवर्ड तम्बाकू पाउच व अन्य सामग्री एवं साहिबाबाद स्थित याराना बार एण्ड रेस्टोरेंट से 12 हुक्का मय चिलम व अन्य सामग्री बरामद।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त तन्मय के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर उक्त 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त करन व भरत सिंह के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर पर सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

- अभियुक्त हर्ष चौधरी उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर अवैध हुक्का बार चलाने के अंतर्गत 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- फरार अभियुक्त रिहान आलम के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर पर सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत 02 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित हैं।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कौशाम्बी / साहिबाबाद पुलिस टीम।

**थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा अवैध आतिशबाजी पटाखों सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 06 प्लास्टिक के कट्टो में अवैध आतिशबाजी पटाखे बरामद।**

दिनांक 18.10.2026 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध आतिशबाजी पटाखों के साथ एक अभियुक्त पुलकित पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम रिस्तल थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को ग्राम रिस्तल थाना टीलामोड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना टीला मोड़ पर धारा 9(बी)1(बी) विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण:-** गिरफ्तार अभियुक्त महमूद से पूछताछ करने पर बताया कि अधिक मुनाफा कमाने के लिये शामली से सस्ते दामों में आतिशबाजी पटाखे खरीदकर लाता हूँ, जिन्हे अधिक मूल्य में बेचकर अपने शौक पूरे करता हूँ। मुझसे बरामद उक्त आतिशबाजी पटाखें मेरे ही हैं, जिन्हे बेचने की फिराक में ग्राम रिस्तल में घूम रहा था।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभियुक्त पुलकित पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम रिस्तल थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

### बरामदगी का विवरण –

06 प्लास्टिक के कट्टो में अवैध आतिशबाजी पटाखे बरामद।

### अपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीला मोड़ पर उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।